## महत्वपूर्ण एवं खास

### पीईटी प्रवेश परीक्षा 3 मई को

**रायगढ़, 2018/** छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा पीईटी प्रवेश परीक्षा 3 मई 2018 को दो पाली में संपन्न होगी। प्रथम पाली में पीईटी प्रवेश परीक्षा प्रातः 9 से दोपहर 12.15 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक संपन्न होगी। पीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए रायगढ़ में 6 केन्द्र बनाए गए है तथा परीक्षा केन्द्र की सतत् निगरानी के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए है। इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ में 2 मई को दोपहर 1 बजे रखा गया है। गोपनीय सामग्री प्राप्त करने हेतु 3 मई को प्रातः 7 बजे एवं द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1 बजे जिला कोषालय रायगढ़ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीईटी प्रवेश हेतु परीक्षा केन्द्र 2401 शा.नटवर उच्च.माध्य.विद्यालय रायगढ़ प्रथम एवं द्वितीय पाली के लिए व्याख्याता पंचायत श्रीमती आशा यादव मो.नं.97706-94773 को आब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसी तरह परीक्षा केन्द्र 2402 स्वामी बालकृष्ण पुरी लॉ कॉलेज रायगढ़ प्रथम एवं द्वितीय पाली के लिए विजय कुमार तिर्की विकास खण्ड पुसौर मो.नं.94063-82457, परीक्षा केन्द्र 2403 शास.उ.मा.वि.जूटमिल रायगढ़ प्रथम एवं द्वितीय पाली के लिए शा.उ.मा.वि.सोनबरसा के व्याख्याता पंचायत श्री छबीलाल पटेल मो.नं.78980-74548, परीक्षा केन्द्र 2404 शा.उ.मा.वि.चक्रधर नगर रायगढ़ प्रथम एवं द्वितीय पाली के लिए शा.उ.मा.वि.बड़े भंडार रायगढ़ के व्याख्याता श्री सुरेन्द्र कुमार चौहान मो.नं.96172-00041, परीक्षा केन्द्र है ।

## अपराध सदर पाए जाने के बाद भी पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध सम्बंधी दस्तावेज दिया और न्यायोचित कार्यवाही नहीं की गई - जानकी

### क्या थी घटना!

आवेदिका दिनॉक 06/02/2018 को कोतवाली थाना गई, जहॉ उसे ए0एस0आई0 राजपूत ने भगा दिया, इसके बाद एस0पी0 के पास गई, जहॉ कहा गया कि कार्यवाही कराता हॅू , इसके बाद दिनॉक 07/02/2018 को अ0जा0क0 थाना गई, जहॉ भुनेश्वरी पैंकरा ने शाम को बयान लिया, इसके लगभग एक हप्ते बाद शिवरात्रि के दिन दिनॉक 13/02/2018 को गवाहों के बयान लिए गए, आवेदिका का कहना है कि अपराध सदर पाए जाने के बाद भी पुलिस ने हस्तक्षेप अयोग्य अपराध सम्बंधी दस्तावेज दिया जो कि न्यायोचित कार्यवाही नहीं थीं।

¯ ज्ञजौ0जे0 स्व0 प्रेमलाल, उम्र 42 वर्ष लगभग, निवासी रामबाग के पीछे, मोदीपारा, कोतरा रोड, रायगढ़, थाना कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0, मो0नं0 81036xxxxx , की रहने वाली होकर आपके समक्ष उक्त विषयांकित एवं संदर्भित निम्नलिखित शिकायत प्रस्तुत करती हॅूः -

1/ यह कि, मैं आदिवासी समाज से आने वाली महिला हॅू , और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगुरसिंया में कार्यरत् हॅू। मैं दिनॉक 06/01/2018 को सुबह 7.00 बजे के लगभग, संतोष के घर पूजा का पानी लेने जा रही थीं, तभी श्रीमती दुर्गा देवांगन मुझे देखते ही साली विधवा, आदिवासी, कलमुही, सुबह-सुबह इसका मुॅह देख लिया, कहकर गाली-गलौज करने लगी।

2/ यह कि, इसके बाद उसका पति महेश देवांगन भी वहॉ आ गया, और वो भी मुझे जातिगत गाली देकर मार-पीट करने लगा, हो-हल्ला सुनकर और मेरे बचाओ-बचाओ कर आवाज देने पर मेरी माता शगुनमति बीच-बचाव करने आई, तो महेश देवांगन बोला कि ''इधर मत आ बुढिया नहीं तो एक हाथ पड़ेगा तो एक ही बार में पार हो जाएगी'', जिससे मेरी माता डर गई, और दोनो महेश एवं दुर्गा देवांगन ने मेरे साथ सार्वजनिक रुप से काफी मार-पीट की और मुझे सार्वजनिक रुप से बेईज्जत भी किया गया, जिससे मैं मानसिक रुप से प्रताड़ित हुई और समाज में बेईज्जत भी हुई। मैं सुबह-सुबह नाईटी में थीं, इस मार-पीट में महेश देवांगन द्वारा उसे भी खींचा गया, जिससे कि मेरी नाईटी फट गई जो कि आज तक मेरे पास हे जिसे जांच के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

3/ यह कि, महेश देवांगन एवं दुर्गा देवांगन नहीं चाहते हैं कि मैं वहॉ रहॅू , क्योकि पूर्व में उनके साथ मेरा जमीन सम्बंधी विवाद था, उनके द्वारा मेरी जमीन में कब्जा किया गया था, जो कि मेरे द्वारा आपत्ति किए जाने पर उनको छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वे दोनों लगातार मुझसे खुन्नस रखतें हैं और मुझे लगातार जातिगत गाली-गलौज कर नीचा दिखाने का कार्य कर प्रताड़ित करते रहते हैं, जबकि जहॉ मैं निवासरत् हॅू , वो मेरा मकान है, जो जमीन दबाई गई थी वो भी मेरी है, और मैं विधवा महिला वहॉ अपने बच्चों के साथ निवास करती हूॅ।

### सामाजिक न्याय संघ को दिया आवेदन

#### क्या है मामला?

आदिवासी समाज की विधवा महिला को गंदी-गंदी गाली देने, टोनही, कलमुही कहकर प्रताड़ित करने मार-पीट करने की रिपोर्ट कोतवाली थाना, आ0ज0क0 थाना एवं एस0पी0 को भी लिखित में देने के बाद भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं करने, और नामजद दोषियों के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही नहीं करने और अपराध पाए जाने के बाद भी धारा 155 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही करने सम्बंधी शिकायत पर विधिक सहायता करने और जॉच कर पुनः न्यायोचित कार्यवाही कराने हेतु सामाजिक न्याय संघ को आवेदन दिया, जिसे संघ के द्वारा श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, एस0पी0, डी0एस0पी0 अ0जा0क0, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, थाना प्रभारी, थाना अ0जा0क0, को भेजा है।

## महुआ शराब बेचते कई लोग पकड़ाएं

**रायगढ़, 2018/** सहायक आयुक्त आबकारी रायगढ़ के निर्देशन में जिले के आबकारी विभाग की टीम अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर महुआ शराब बेचते कई लोगों को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते भी कई लोग पकड़ाए। आबकारी विभाग द्वारा टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 शुरू किया गया है। जनसामान्य अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते, अधिक दर पर शराब बेचने, निर्धारित समय पर दुकान न खुलने या बंद करने, मांग अनुसार शराब का ब्राण्ड न मिलने जैसी शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते है।

आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम नवागांव और मादरपखना में अवैध महुआ शराब बेचने की सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक श्री नारायण प्रसाद पटेल ने ग्राम नवागांव के सनत को 2 लीटर महुआ शराब बेचते पकड़ा। ग्राम मादरपखना में महुआ शराब बनाकर बेचते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह दयाराम, सुशीला, अहिल्या एवं शिमला को कुल 10 लीटर महुआ शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया तथा उन पर प्रकरण कायम किया गया। आबकारी उपनिरीक्षक श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने सीतापुर थाना कोतरारोड के अविनाश चौहान को जिंदल चौराहे के पास शराब पीते पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय रायगढ़ में पेश किया गया। ग्राम कांटाहरदी में भारत माता वाहिनी की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए रूपलाल को अवैध रूप से महुआ शराब बनाये जाने तथा 30 किलो ग्राम सामग्री रखे पाये जाने पर प्रकरण कायम किया। गोरखा क्षेत्र में अवैध रूप से कोसना बनाकर बेचने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोसना, लांदा, सल्फी, छिन्द रस ताड़ी आदि बनाने या बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। उक्त कार्यवाही में गजेन्द्र सिंह सहायक जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में मुख्य आरक्षक श्री योगेन्द्र पटेल, आरक्षक श्री जयदान तिर्की, उमाशंकर शर्मा, रूद्रप्रसाद गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

## प्रधानमंत्री श्री मोदी का संबोधन पंचायत प्रतिनिधियों ने सुना

**रायगढ़, 2018/** राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के मंडला जिले के रामनगर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से रायगढ़ के पालीटेक्निक ऑडिटोरियम में पंचायत प्रतिनिधियों ने देखा और सुना। जिला पंचायत के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 'हमर गांव हमर योजना' (जीपीडीपी)निर्माण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही शासन की योजनाओं का अपने ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज पंचायती राज दिवस भी है। बापू के सपने को साकार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना दी थी। ग्रामोदय के राष्ट्रोदय के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए प्रेरित किया है और आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं देश के करीब 2 लाख 40 हजार पंचायतों को, 30 लाख जनप्रतिनिधियों के रूप मैं बैठे हुए लोगों को प्रणाम करता हूं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अपने विकास के लिए सशक्तीकरण के लिए आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आप जो भी संकल्प करेंगे उन्हें पूरा करने के लिए भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलेगी। इस तरह आपके सपनों के साथ हमारे सपने भी जुड़ेंगे। इसके साथ हम मिलकर सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपने को सिद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांव के विकास का मंत्र दिया। जनधन, वनधन और गोबरधन का मंत्र ग्रामीणों को दिया। इसी से गांव में समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग गांव के विकास का संकल्प ले और कोशिश करें कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गांव और ग्रामीणों को मिले। गांवों के बच्चों को शिक्षित बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी संकल्प लें कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

## आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए दावा-आपत्ति 3 मई तक आमंत्रित

**रायगढ़, 2018/** एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी के आंगनबाड़ी केन्द्र कृष्णानगर वार्ड क्रमांक 36 एवं सोनियानगर वार्ड क्रमांक 40 में सहायिका पद के लिए गत दिवस आवेदन आमंत्रित किया गया था। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन समिति द्वारा जांच उपरांत अनंतिम मूल्यांकन सूची का प्रकाशन परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो वे 3 मई 2018 शाम 5 बजे तक लिखित में दावा-आपत्ति एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

## मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह 3 मई को आयेंगे परसदा

### खाद का अग्रिम उठाव करें किसान-प्रभारी कलेक्टर

**रायगढ़,2018/** प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि आगामी 3 मई को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह रायगढ़ विकासखण्ड के ग्राम परसदा आयेंगे और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा हितग्राहियों को सामग्री वितरण करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की सूची एवं लोकार्पण तथा शिलान्यास की जानकारी प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। प्रभारी कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कार्यक्रम स्थल पर मंच, बेरिकेटिंग, विद्युत, पेयजल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी अन्य तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन की नई योजना स्काई संचार क्रांति योजना के तहत आगामी मई माह में जिले में 25 हजार स्मार्ट फोन मोबाईल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जनपद सीईओ, नगरीय निकाय अधिकारियों को हितग्राहियों का चिन्हांकन करके सूची बनाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि 8 मई से हितग्राहियों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाना शुरू हो जाएगा। पात्र हितग्राहियों का 2011 की सर्वे सूची में नाम होना अनिवार्य है तथा परिवार में महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी परिवार में महिला मुखिया नहीं है तो 18 से 60 वर्ष के पुरूष मुखिया पात्र होंगे या संबंधित परिवार के लोग अपने परिवार के मुखिया का नाम का प्रस्ताव रखेंगे, उन हितग्रहियों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सहकारिता विभाग के उप पंजीयक श्री बसंत कुमार से खाद (उर्वरक)भंडारण की जानकारी ली। जिस पर उप पंजीयक ने बताया कि किसानों के लिए सोसायटी में 25 हजार 800 मीटरिक टन खाद का भंडारण कर दिया गया है। किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार खाद का अग्रिम उठाव कर सकते है। प्रभारी कलेक्टर ने भी किसानों से अपील की है कि खेती-किसानी के लिए खाद का अग्रिम उठाव करके अपने पास सुरक्षित रख लें। उन्होंने बताया कि अब किसानों को पीओएस मशीन से ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसान अपने रूपे कार्ड के माध्यम से खाद का अग्रिम उठाव कर सकते है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री संजय दीवान, सभी एसडीएम एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931